

## सूचना

### प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लघु अवधिक प्रशिक्षण केन्द्रों को दोबारा खोलना : दिशानिर्देश एवं एसओपी

दिनांक : 11 सितम्बर 2020

प्रिय प्रशिक्षण प्रदाता,

गृह मंत्रालय (MHA) ने दिनांक 29 अगस्त 2020 की अधिसूचना संख्या 40-3/2020-DM-I(A) के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण को 21 सितम्बर, 2020 से दोबारा चालू करने की अनुमति प्रदान की है। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा 8 सितम्बर, 2020 को जारी कर दिया गया है। इसके पहले कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भी कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों (TCs) को दोबारा खोलने हेतु विस्तृत कार्य योजना जारी किया था। आप इस सन्दर्भ में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिनांक 11 जून 2020 का कार्यालय ज्ञापन संख्या B-12011/01/2016-SDE देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की वेबसाइट पर नोटिस के खंड में उपलब्ध है। उपर्युक्त के आलोक में ट्रेनिंग पार्टनर्स (TPs) को गृह मंत्रालय के आदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एसओपी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की विस्तृत कार्य योजना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों द्वारा तय दिशानिर्देशों के अनुपालन में 21 सितम्बर 2020 से प्रशिक्षण केन्द्रों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा, ट्रेनिंग पार्टनर्स को सलाह दी जाती है कि वे ताजा स्थिति और दिशानिर्देशों के लिए सचेत रहें, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किये जा सकते हैं। प्रशिक्षण केवल उन बैचों के लिए दोबारा आरम्भ होगा जिन्हें एफ. सं. B-12011/01/2016-दिनांक 29 मई 2020 के अनुसरण में रद्द नहीं किया गया था। रद्द किये गए बैचों का विवरण प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट के सूचना खंड में उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर 2020 के आदेश के अनुसरण में, नियोक्ता-संचालित मॉडल (RFP FY 2019-20) और एससीपीडब्लूडी प्रशिक्षण केन्द्रों के अंतर्गत रद्द किए गए बैचों को पुनः बहाल किया जाएगा और इन बैचों के लिए प्रशिक्षण 21 सितम्बर 2020 से आरम्भ होगा। इन बैचों की सूची अनुलग्नक में दी गयी है। बैच की तिथियों में अपेक्षित परिवर्तन एसआईपी पोर्टल पर किया जाएगा और महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं के लिंक आपके सन्दर्भ लेख नीचे उल्लिखित हैं। आईटी संबंधी परिवर्तनों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश 21 सितम्बर 2020 के पहले प्रशिक्षण प्रदाताओं के पास भेज दिया जाएगा।

1. अनलॉक 4 के दिशानिर्देश (अधिसूचना सं. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 अगस्त 2020) : [https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder\\_Unlock4\\_29082020.pdf](https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_Unlock4_29082020.pdf)
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) : <https://www.mohfw.gov.in/pdf/FinalSOPonSkillinstitutions&PGinstitutes08092020.pdf>
3. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कार्यालय ज्ञापांक B-12011/01/2016-SDE दिनांक 11 जून 2020 –प्रशिक्षण केन्द्रों को पुनः खोलने के लिए विस्तृत कार्य योजना: [http://pmkvyofficial.org/App\\_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf](http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf)
4. एफ. स. B-12011/01/2016-SDE -दिनांक 29 मई 2020 के अनुसरण में प्रशिक्षण आरम्भ नहीं किये जाने वाले और रद्द होने के लिए लक्षित बैच : [http://pmkvyofficial.org/App\\_Documents/News/Annexure-1\\_Batches\\_to\\_be\\_Cancelled.pdf](http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Annexure-1_Batches_to_be_Cancelled.pdf)
5. अनुलग्नक 1 : एससीपीडब्लूडी प्रशिक्षण केन्द्रों और नियोक्ता-संचालित मॉडल (RFP FY 2019-20) के लिए पुनः बहाल किये गए पीएमकेवीवाई सीएससीएम- लघु अवधिक प्रशिक्षण बैचों की सूची

हम आपके सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं.

किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया [PMUPMKVY2.0@nsdcindia.org](mailto:PMUPMKVY2.0@nsdcindia.org) पर लिखें.

\*\*\*